न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 48/2018

हमीद मोहम्मद पुत्र गुल मोहम्मद वार्ड नं0 3 उनियारा जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.11.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1– 1जनवरी 2017 से 30 अगस्त 2018 तक उपखण्ड कार्यालय उनियारा में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए। कितनों को उक्त योजना से जोड़ा गया शहरीर एंव ग्रामीण व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करावें।

2–1जनवरी 2017 से 20 अप्रेल 2018 तक उपखण्ड कार्यालय उनियारा में बीपीएल हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए जिनमें कितनों को उक्त योजना में जोड़ा गया तथा कितने आवेदन पत्र निरसत हुए।

3–उक्त दिनांक से अब तक की उपखण्ड क्षेत्र में किये गये बीपीएल व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करावें। मय नाम पिता का नाम एंव ग्राम/कस्बा सहित

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकरी उनियारा को पत्र क्रमांक 1435 दिनांक 29.10.2018, व, 1472 दिनांक 13–11–2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र क्रमांक 2882 दिनांक 27–11–2018 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र क्रमांक 2876 दिनांक 22.11.2018 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु 125 पेज के 2 रूपये प्रति पेज के हिसाब से 250 रूपये जमा करवाकर सूचना प्राप्त करें।

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ओर न ही निर्धारित अवधि 30 दिवस के भीतर राशि जमा कराने हेतु सूचित किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना अपीलार्थी को निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवेदनकर्ताओं को राशि जमा कराने बाबत पत्र रजि0 डाक से भिजवायें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक